पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच

R 1444-PBR/17 (85)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क   /17/निगरानी

श्री सी0एम0 2181 R. द्वारा आज दि. 23.5.17 को प्रस्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

देवकरण पुत्र स्व0 श्री कंवरलाल जाति यादव निवासी यादव मंडी नीमच सिटी तहसील नीमच जिला नीमच म0प्र0

—**प्रार्थी**

बनाम

1 शांतिलाल पुत्र स्व0 श्री कंवरलाल यादव निवासी नीमच हा0 मु0 545 अभिनंदन कॉलोनी विस्तार 1, मंदसौर म0प्र0

2 राजकुमारी पत्नी स्व0 श्री फकीरचन्द कदम जाति यादव निवासी 545 अभिनंदन कॉलोनी विंस्तार 1, मंदसौर म0प्र0

3 जयश्री कौशल पुत्र स्व0 श्री फकीरचन्द कदम जाति यादव निवासी हिम्मत नगर गुजरात,

4 जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री फकीरचन्द कदम जाति यादव निवासी ओ.एफ.डी देहरादून

कमशः 02

5 धीरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री फकीरचन्द्र कदम निवासी अभिनंदन कॉलोनी विस्तार 1, मंदसौर म0प्र0

6 चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री कंवरलाल पति श्रवण कुमार यादव निवासी बंगाली कॉलोनी के आगे ग्वाल्टोली नीमच म0प्र0

7 विद्याबाई पिता स्व0 श्री कंवरलाल यादव पति बालकिशन गोयल निवासी ग्वालटोली तहसील व जिला नीमच म0प्र0

—–प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 67/अ–27/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 17.04.2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील नीमच जिला नीमच (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1444–पीबीआर / 17 **जिला नीमच**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–6–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील व जिला नीमच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि संहिता की धारा 178(1) के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के लिये तीन माह की अवधि के लिये कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है, परन्तु चूँकि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से ही व्यवहार वाद प्रचलित है इसलिये कार्यवाही रोकने का कोई औचित्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	